राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवड़ा आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 05/2019

दायर दिनांकः–08.05.2019
फैसल दिनांकः–11.09.2019

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

अपीलान्ट.....

बनाम

श्री तुलसीराम पिता श्री रूपलाल परमार, निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट....

उपस्थितिः– 1. विभागीय पेरोकार – अपीलान्ट
2. श्री नगीन पटेल – वकील रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

– : निर्णय : –

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर की ओर से विरूद्ध विपक्षी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी द्वारा अपनी दुकान में अवैद्य रूप से 600 लीटर डीजल को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भण्डारण किये जाने से जप्तशुदा डीजल का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए(1) के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर द्वारा दिनांक 05.04.2019 को प्रदत्त निर्देश की पालना में पुलिस उप अधीक्षक बिछीवाडा से वार्ताकर निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 पर स्थित ग्राम बरोठी तहसील बिछीवाडा में डीजल का अवैद्य भण्डारण कर टेंकरो से खरीद फरोक्त करने संबंधित तथ्य की जानकारी दी गई। पुलिस विभाग की उक्त जानकारी पर संयुक्त रूप से मौके की जांच की गई। ग्राम बरोठी राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर स्थित होटल तुलसी के पिछे डीजल बेचने की बनी दुकान पर 3 ड्रम 200–200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल के भरे हुए मिले तथा 2 जरीकेन 20–20 लीटर के खाली मिले एवं 1 नाप, 2 झापे, 2 नलियां ओर 4 खाली लोहे के पिपे मौके पर पाये गये। इस प्रकार कुल 600 लीटर डीजल पाया गया। जांच के दौरान विपक्षी श्री तुलसीराम पिता श्री रूपलाल परमार, निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0) द्वारा किसी प्रकार का उक्त अवैद्य डीजल भण्डारण का साक्ष्य एवं संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व पेट्रोलियम प्रोडक्ट (मेन्टीनेंस ऑफ प्रोडक्शन स्टोरेज व सप्लाई) आर्डर 1999 के मेन क्लाज 9(सी) मोटर स्प्रीट और हाई स्प्रीट डीजल रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्युशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलेप्रेक्सि आर्डर 2005 के मेन क्लाज 2(F)V, VII, P, R एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाईसेसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के मेन क्लॉज 3(1) की शर्तो का विपक्षी द्वारा उल्लंघन किया गया है। अवैद्य भण्डारण 600 लीटर डीजल पुलिस थाना बिछीवाडा को सुपूर्द कर विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस थाना बिछीवाडा में एफ.

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

आई.आर. दर्ज कराई गई। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त अवैद्य भण्डारित 600 लीटर डीजल राजसात करने की प्रार्थना की हैं।

अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालातनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार वह काश्तकार है। विपक्षी के पास ट्रेक्टर, वाटर पम्प, डीजल चक्की आदि है। विपक्षी ने अपने ट्रेक्टर, वाटर पम्प, डीजल चक्की आदि के उपयोग हेतु विवेचित डीजल का भण्डारण किया जाना बताया है। विपक्षी ने यह भी बताया है कि वह डीजल का क्रय–विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है। विपक्षी ने अपने ही उपयोग हेतु उक्त जप्तशुदा डीजल को रखा था। उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी अभिभाषक की बहस समायत की गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं विपक्षी अभिभाषक ने जबाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई।

विभागीय पैरोकार ने बहस में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित ग्राम बरौठी में तुलसी होटल के पिछे डीजल बेचने की विपक्षी की दुकान में 3 ड्रम 200–200 लीटर पेट्रोलियम पदार्ड डीजल के भरे हुए पाये गये तथा 2 जरीकेन 20–20 लीटर के खाली व 2 नाप, 2 नलियां और 4 लौहे के पिपे पाये गये। विपक्षी को उक्त अवैद्य रूप से भण्डारित डीजल के संबंध में जानकारी करने पर कोई संतोषप्रद जबाब पेशी नहीं किया तथा न हीं डीजल खरीद के संबंध में प्रमाणित साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज पेश किये। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल का अवैद्य व्यवसाय करने से डीजल का भण्डारण करना विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया। विपक्षी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व पेट्रोलियम प्रोडक्ट (मेन्टीनेंस ऑफ प्रोडक्शन स्टोरेज व सप्लाई) आर्डर 1999 के मेन क्लाज 9(सी) मोटर स्प्रीट और हाई स्प्रीट डीजल रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्युशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलेप्रेक्सि आर्डर 2005 के मेन क्लाज 2(F)V, VII, P, R एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाईसेसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के मेन क्लॉज 3(1) की शर्तो का उल्लंघन किया हैं। विपक्षी द्वारा अवैद्य रूप से बिना अनुज्ञा के डीजल भण्डारित करने से दुर्घटना कारित होने की सम्भावना बनी रहती हैं विभागीय पैरोकार ने उक्त जप्त की गई सामग्री को राजसात करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी काश्तकार है और उसके पास 1 ट्रेक्टर, वाटर पम्प, डीजल चक्की इत्यादि है, जिससे विपक्षी को डिजल की जरूरत पडती हैं। इन साधनों के लिए डीजल भण्डारित किया गया था। घटना स्थल के आस–पास कई पेट्रोल पम्प हैं। विपक्षी को डीजल का विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया हैं। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज करने की प्रार्थना की गई।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया।

बहस पक्षकार एवं पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित ग्राम बरौठी में तुलसी होटल के पिछे दुकान में 3 ड्रम 200–200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल के भरे हुए, 2 जरीकेन 20–20 लीटर खाली, 1 नाप, 2 झापे, 2 नलियां व 4 खाली लोहे के पिपे पाये गय। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त 600 लीटर डीजल विपक्षी के ट्रेक्टर, वाटर पम्प व डीजल चक्की आदि के उपयोग हेतु रखा गया हैं। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक के उक्त तथ्यों के प्रमाणन हेतु ट्रेक्टर की आर.सी. व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा न हीं उक्त जप्तशुदा डीजल की खरीद का कोई बिल प्रस्तुत किया हैं। लिहाजा विपक्षी के तथ्यों की पुष्टि का कोई आधार नहीं हैं। विपक्षी द्वारा बिना सक्षम अनुज्ञा के डीजल का अवैद्य रूप से भण्डारण

Scanned by CamScanner

किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व पेट्रोलियम प्रोडक्ट (मेन्टीनेंस ऑफ प्रोडक्शन स्टोरेज व सप्लाई) आर्डर 1999 के मेन क्लाज 9(सी) मोटर स्प्रीट और हाई स्प्रीट डीजल रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्युशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलेप्रेक्टिस आर्डर 2005 के मेन क्लाज 2(f)V, VII, P, R एवं राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाईसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के मेन क्लॉज 3(1) की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त जप्तशुदा डीजल का नियमानुसार निस्तारण करने की बहस के दौरान सहमती व्यक्त की हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी श्री तुलसीराम पिता श्री रूपलाल परमार, निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0) द्वारा अवैद्य रूप से ग्राम बरौठी में तुलसी होटल के पिछे दुकान में 3 ड्रम 200–200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल के भरे हुए, 2 जरीकेन 20–20 लीटर खाली, 1 नाप, 2 झापे, 2 नलियां व 4 खाली लोहे के पिपे को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त 3 ड्रम 200–200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल को अधिकृत डीलर को निर्धारित दर पर विक्रय कर प्राप्त राशि को अमानत के रूप के जिला रसद के राजकोष में जमा रखी जावें तथा 2 जरीकेन 20–20 लीटर खाली, 1 नाप, 2 झापे, 2 नलियां व 4 खाली लोहे के पिपे को किसी भी अधिकृत डीलर के पास जमा रखी जावे। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner